P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-II*October-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत पाक सम्बन्धों का संक्षिप्त इतिहास (1947 ई० – 1960 ई० के विशेष सन्दर्भ में)

असमां खातून
प्रवक्ता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
सत्यपाल सिंह महाविद्यालय,
शाहजहाँपुर

सारांश

15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार के भारत को स्वाधीनता देने और बटवारा होने की वजह से पाकिस्तान बनने से विश्व के मानचित्र पर दो स्वतन्त्र देश अस्तित्व में आए और यह समझा जाने लगा कि भारत देश के विभाजन के बाद आपस में शान्ति स्थापित हो जायेगी और भारत–पाकिस्तान मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में काम करेंगे लेकिन असर इसके विपरीत हुआ। साम्प्रदायिक घृणा के कारण दोनो देशों के बीच कई समस्यायें उत्पन्न हो गई। दोनों देशों के बीच मैत्री और शान्ति की उम्मीद धूमिल हो गयी।

मुख्य शब्द : मुखालफत–विरोध करना, शरणार्थी–शरण में आया हुआ, मसला–समस्या, मुद्दा–विषय, त्वरित–तुरन्त, बुनियादी – प्राथमिक।

प्रस्तावना

आजादी के फौरन बाद भारत और पाकिस्तान के देशी रियासतों के भारत में विलय के सवाल को लेकर जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत में विवाद एवं तनाव रहा, ऋण की अदायगी का प्रश्न, शरणार्थियों की समस्या, नदी पानी विवाद और कश्मीर की समस्या ने भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों की बुनियाद को द्वेष, घृणा और कटुता से भर दिया। पं० नेहरू अपने पूरे कार्यकाल में इन्हीं समस्याओं से जूझते रहे और वर्तमान नेतृत्व में भी सियाचिन ग्लेशियर, चरार–ए–शरीफ की घटना, संसद पर आक्रमण, जामा मस्जिद पर विस्फोट, बम्बई में विस्फोट, पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली ऐसी ही सैकड़ों घटनाओं से तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, जिसका विस्तृत विवरण इस शोध–पत्र में दिया जा रहा है।

उद्देश्य

भारत–पाक सम्बन्धों (1947 ई० से 1960 ई०) के विशेष सन्दर्भ में के संक्षिप्त अध्ययन के द्वारा भारत–पाक सम्बन्धों (1947 ई० से 1960 ई० तक) का स्वरूप प्रस्तुत करना।

आजादी के तुरन्त बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी देशी रियासतों के विलय की। कुछ राज्यों के शासक हिन्दू थे तो वहाँ जनता मुस्लिम थी और कहीं शासक मुस्लिम था तो जनता हिन्दू थी। गुजरात के काठियवाड़ जिले में जूनागढ़ रियासत में 80 प्रतिशत जनता हिन्दू थी लेकिन वहाँ का नवाब महावत खाँ मुसलमान था। जूनागढ़ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 में अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी और 16 सितम्बर को पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को मान लिया यह न्यायसंगत नहीं था क्योंकि जुनागढ़ पाकिस्तान की सीमा से 300 मील दूर भारतीय भू–भाग से घिरा हुआ है। 12 सितम्बर को पं० नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली से जनमत संग्रह की मांग की 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ और इसमें भी हमेशा की तरह भारत ने बाजी मारी। भारत के पक्ष में 1, 90, 070 मत पड़े जबकि पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 मत पड़े।[1] अैर उसी दिन पं० नेहरू ने जूनागढ़ को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। पाकिस्तान ने यह सवाल सुरक्षा परिषद में उठाना चाहा लेकिन सुरक्षा परिषद ने इसे भारत का घरेलू मामला कह दिया जो कि बिल्कुल सत्य था। यह भी भारत–पाक सम्बन्धों में कटुता बढ़ाने का कारण बना। पाकिस्तान को एक बार स्थापित हो जाने के बाद अपेक्षाकृत अधिक बुनियादी किस्म के सवाल सामने आये।[2]

भारत का विभाजन राजनैतिक और अप्राकृतिक था।[3] भारत और पाकिस्तान का जब बटवारा हुआ तो उस वक्त साम्प्रदायिक दंगे अपनी चरम सीमा पर थे, लोग अपने को असुरक्षित पाकर भारत की ओर आने लगे इसी तरह भारत से लोग पाकिस्तान भागने लगे भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों

में शरणार्थियों की तादाद बढ़ रही थी और उनकी सम्पत्ति का सवाल भी उठ रहा था। इस समस्या को लेकर पाकिस्तान की स्पष्ट नीति यह रही कि भारत से पाकिस्तान में आकर बसने वाले शरणार्थियों की सारी सम्पत्ति उनको दिलाई जाये और पाकिस्तान से भारत जाकर बसने वाले पनाहगारों को उनकी सम्पत्ति प्राप्त करने से रोका जाये इसका मतलब यह हुआ कि मुजाहिदीन चाहे पाकिस्तान में रहे। विभाजन के दौरान दोनों देशों के बीच शरणार्थियों का आना जाना बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ भारत आने वाले शरणार्थी 500 करोड़ रूपयों की सम्पत्ति पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ आये थे वहीं पश्चिमी पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थी 100 करोड़ रूपये लगभग की सम्पत्ति भारत में छोड़ गये थे।[4]

अगला मसला आजादी के बाद नदियों के पानी का था जाहिर है देश का बँटवारा किया जा सकता है लकिन नदियों के रास्तों को नहीं बदला जा सकता इस बीच विश्व बैंक ने इस मसले को हल करने के लिए अपने सुझाव दिये। पानी विवाद को सुलझाने के लिए विश्व बैक द्वारा रखी गई स्थिति बँटवारे पर आधारित थी।

नहरी पानी समझौता जिन मुख्य सिद्धान्तों पर आधारित था वह इस प्रकार से थे।

1. पाकिस्तान सिन्धु, झेलम तथा चिनाव नदी के पानी को तथा भारत सतलज, रावी और व्यास के पानी को प्रयोग में लायेगा।
2. एक निश्चित समय (साधारणतया दस वर्ष) के अन्दर पाकिस्तान अपने भाग की नदियों से पानी प्राप्त करने की व्यवस्था कर लेगा, इतने समय तक उसे भारत की नदियों से पानी प्राप्त होता रहेगा।
3. नई नहरों के निर्माण कार्य हेतु भारत पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देगा जिसकी राशि 87 करोड़ 60 लाख डालर होगी।
4. एक स्थायी सिन्धु आयोग की स्थापना की जायेगी जिसमें भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधि होंगे।
5. सन्धि की व्याख्या को लेकर उत्पन्न होने वाले मतभेदों पर विचार करने हेतु पंचाट न्यायालय की स्थापना की गई।

इसके उपरान्त सीमा निर्धारण की समस्या आयी। एक देश में ही सीमायें बनायीं जाने लगी। सीमायें निर्धारित कैसे की जाये किसी भी देश के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है और भारत के सामने यह एक महत्वपूर्ण सवाल था। भरत और पाकिस्तान के बीच सीमा सम्बन्धी सवाल को प्रकृति की नजर से तीन भागों में बाटा जा सकता है। पहले वर्ग में वे विवाद आते है। जिनमें यह शिकायत की जाती रही एक देश के द्वारा दूसरे देश की स्थल या नभ सीमा का अतिक्रमण किया गया।[5] जब तक इस तरह का अतिक्रमण ज्यादा गम्भीर रूप न ले उसे विशेष अहमियत नहीं दी जाती और ज्यादातर स्थनीय अधिकारी या प्रान्तीय सरकारें आपस में मिलकर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की गरज से वार्ता करती रहती है। इस तरह के सीमा अतिक्रमण दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्धों को बनाने के रास्ते में बाधा बने रहते है। दूसरे वर्ग के सीमा विवाद उन क्षेत्रों से सम्बन्ध रखता है जहाँ एक देश की सरकार दूसरे देश की जनता को जब देखती है कि वह अपने देश की सरकार की मुखालफत कर रही है तो और अधिक मुखालिफ बनाने के लिए आर्थिक और सैनिक सहायता दें उसे भड़काती रहती है पाकिस्तान द्वारा विद्रोही नागाओं को इस तरह की मदद लम्बे समय तक दी जाती रही। इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद भारत को कमजोर बनाना रहा। हालांकि पाकिस्तान अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हुआ लेकिन उसके इस काम से भारत–पाक सम्बन्धों में तीखापन और बढ़ता गया।

जिसे सुलझाने के लिए एक नये आयोग का निर्माण किया गया इस आयोग में एक भारतीय न्यायधीश एक पाकिस्तानी न्यायधीश तथा एक दूसरे देश का न्यायधीश जस्टिस बागे थे। जस्टिस बागे के निर्णयों ने विवादित कई प्रश्नों का समाधान कर दिया लेकिन समस्या का पूरा समाधान उसमें भी नहीं हुआ और कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद चलता रहा।

1. वह क्षेत्र जहाँ मतभंगा नदी की धारा गंगा से मिलकर उत्तर में दौलतपुर तथा करीमपुर थाने के मध्य सीमा से जाकर मिलती है।
2. पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पाकिस्तान के मध्य पहाड़ी क्षेत्र विवाद।
3. बेरूबारी सम्बन्धी विवाद पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल के मध्य।
4. पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित कूच पर स्थित कूच बिहार के कुछ क्षेत्र।
5. खुलना तथा जैसोर में 24 परगना के क्षेत्र को लेकर उत्पन्न विवाद।
6. पकिस्तान–आसाम के मध्य भोलागंज क्षेत्र का विवाद।
7. त्रिपुरा–पाकिस्तान की सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्रों में होने वाला विवाद।

इसके अतिरिक्त कच्छ क्षेत्र में चडवेट, पंजाब में लाहौर अमृतसर सीमा के कुछ गांव तथा चाक लधेके, सुलेमांकी तथा हुसैनी वाला नहर संयत्र, आसाम में पघारिया पहाड़ी का क्षेत्र और कुशियारा नदी को लकर सीमा सम्बन्धी विवाद थे।[6]

सीमा सम्बन्धी इन विवादों को समाप्त करने की दृष्टि से सितम्बर 1958 में पकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खाँ नून ने भारत की यात्रा की और इस यात्रा के फलस्वरूप सीमा समस्या पर नेहरू–नून समझौता हुआ। नेहरू नून समझौता सीमा सम्बन्धी बहुत से सवालों को सुलझाने में कामयाब रहा। इसके जरिए बेरूबारी क्षेत्र का बटवारा करने का निश्चय किया गया। दिल्ली क्षेत्र पर भारतीय दावा स्वीकार कर लिया गया। कूच बिहार का विवादग्रस्त प्रदेश पश्चिमी बंगाल को मिला। चौबीस परगना के इलाके में इच्छमती नदी को सीमा मानने का फैसला किया गया। भोलागंज के सम्बन्ध में पाकिस्तान ने अपने दावों को छोड़ दिया। त्रिपुरा–पाकिस्तान सीमा पर त्रिपुरा का थोड़ा सा भाग पाकिस्तान को सौंप देने का फैसला किया गया। जिन विवादों को सुलझाया नहीं जा सका उनके सम्बन्ध में भारत ने पंचाट निर्णय की व्यवस्था मानने को कहा।[7]

अगला मुद्दा कश्मीर का था, आज भी कश्मीर दोनों की जनता के लिये राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अपमान का मुद्दा बना हुआ है। जिसका मुख्य कारण भारत के नेताओं की साम्प्रदायिक अलगाववादियों और आतंकवादियों के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाना है।[8]

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध पत्र के विस्तृत अध्ययन से ज्ञात होता है कि यदि प्रारम्भ से ही भारत–पाक सम्बन्धों की गम्भीरता से समीक्षा की जाती एवं इसके सुधार के लिये त्वरित एवं प्रभावशील उपाय किये जाते तो स्थिति तब ही सुधर सकती थी एवं भविष्य में भी इन दोनों देशों की मधुरता बनी रहती। ढुलमुल प्रवृत्ति के कारण 1947 ई० से 1960 ई० के काल में जो सम्बन्धों में कटुता प्रारम्भ हुई वो उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। जिसने भारत–पाक सम्बन्धों के हल्के जख्मों को बड़े नासूर में बदल दिया जिसका परिणाम दोनों देशों को वर्तमान समय में भी भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार भारत–पाक के सम्बन्ध 1947 ई० – 1966 ई० के दौरान बद से बदतर होते गये जिसका प्रभाव दोनों देशों पर आज भी देखे जा सकते है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. रामदेव भारद्वाज–भारत और अर्न्तराष्ट्रीय सम्बन्ध मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल 2003,पृ० 258
2. मुल्ला फारूकी : पाकिस्तान विघटन क्यों, एक विवकेचना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रकाशन नई दिल्ली,1972, पृ० 67
3. रामनरेश प्रसाद सिंह–पाकिस्तान की हकीकत,शिवा प्रकाशन, राजीव नगर पटना, 2003 पृ० 133
4. के.के. कुलश्रेष्ठ : अर्न्तराष्ट्रीय सम्बन्ध (1945 से अब तक एस चन्द एण्ड कम्पनी लि०, रामनगर नई दिल्ली 1989, पृ० 334
5. वहीः पृ० 336
6. पं० नेहरू : लोक सभा में भाषण 12, 1958
7. के.के. कुलश्रेष्ठ : पूर्वो पृ० 337
8. बलराज मधोक : कश्मीर जीत में हारभारती सदन नई दिल्ली, 1993 पृ० 163

अन्य सामग्री

1. अमर उजाला, बरेली
2. दैनिक जागरण, बरेली
3. इण्डिया टुडे, नई दिल्ली
4. टाइम्स ऑफ इण्डिया, लखनऊ
5. यूथ कम्पटीशन
6. प्रतियोगिता दर्पण
7. सी. एस. आर.
8. नव भारत टाइम्स, दिल्ली
9. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली
10. आउट लुक, दिल्ली
11. दैनिक भास्कर, भोपाल
12. सिविल सर्विसेज टाइम्स
13. द हिन्दू, दिल्ली
14. एशियन रिकार्डर
15. इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली
16. एशियन रिकार्डर
17. बिजनेस एण्ड पॉलिटिकल आब्जर्वर
18. डॉन, लाहौर
19. इण्डियन डिफेन्स रिव्यू
20. नई दुनिया, दिल्ली
21. राजस्थान पत्रिका, जयपुर
22. राष्ट्रीय सहारा